कार्यालय जिला न्यायाधीश, बुलन्दशहर।

आदेश

अपर जिलाधिकारी प्रशासन, बुलन्दशहर के पत्रांक 78/न्याय सहायक/कोरोना वायरस/2022 दिनांक 10 जनवरी, 2022 व मुख्य चिकित्सा अधिकारी, बुलन्दशहर के पत्रांक सी0एम0ओ0/कोविड़–19/2022 दिनांक 10.01.2022 के द्वारा सूचित किया गया है कि श्री दीपक गौड़, संदेशवाहक अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश (गैंगस्टर एक्ट) न्याय कक्ष संख्या–09, जनपद न्यायालय, बुलन्दशहर की दिनांक 10.01.2022 को कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आयी है। अपर जिलाधिकारी प्रशासन, बुलन्दशहर व मुख्य चिकित्सा अधिकारी, बुलन्दशहर द्वारा जनपद न्यायालय, बुलन्दशहर का सेनेटाईजेशन कर 24 घण्टे परिसर बन्द करने हेतु संतुति की गयी है

माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के पत्रांक 2423/LXXXVII-सीपीसी/ईकोर्ट/इलाहाबाद दिनांकित 18.01.2022 के पैरा संख्या–04 के अनुपालन में जनपद न्यायालय परिसर, बुलन्दशहर को सैनेटाईजेशन कराने तथा आवश्यक कार्यवाही हेतु सुरक्षा की दृष्टि से दिनांक 11.01.2022 को बन्द रखा जायेगा तथा दिनांक 12.01.2022 को न्यायालय/कार्यालय यथावत खुलेगे।

सर्व सम्बन्धित सूचित हो।

दिनांक–10.01.2022

(यशवन्त कुमार मिश्र)
जिला न्यायाधीश,
बुलन्दशहर।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को आवश्यक सूचनार्थ एवं कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1 प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय, बुलन्दशहर
2 जिलाधिकारी, बुलन्दशहर
3 वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, बुलन्दशहर
4 मुख्य चिकित्सा अधिकारी, बुलन्दशहर
5 अध्यक्ष डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन, बुलन्दशहर
6 अध्यक्ष सिविल बार एसोसिएशन, बुलन्दशहर
7 जेल अधीक्षक, बुलन्दशहर
8 जिला सूचना अधिकारी को समाचार पत्रों में निःशुल्क प्रकाशन हेंतु
9 सिस्टम ऑफिसर को जनपद न्यायालय की बेबसाईट पर अपलोड़ करने के लिए
10 समस्त/न्यायालय एवं कार्यालय

दिनांक– 10.01.2022

(यशवन्त कुमार मिश्र)
जिला न्यायाधीश,
बुलन्दशहर।